झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय:- चिरकुंडा नगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि ₹ 7293.77 लाख (बहत्तर करोड़ तिरानवे लाख सतहत्तर हजार) एवं स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के केंद्र मद से ₹ 350.40 लाख (तीन करोड़ पच्चास लाख चालीस हजार) तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि ₹ 2930.56 लाख (उन्तीस करोड़ तीस लाख छप्पन्न हजार) अर्थात कुल राशि ₹ 3280.96 लाख (बत्तीस करोड़ अस्सी लाख छियानवे हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति ।

---

74 वें संविधान संशोधन की 12 वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है ।

2. भारत सरकार द्वारा संचालित **स्वच्छ भारत मिशन** के अन्तार्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है । इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये 2 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है |

5431
26/09/16

3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी ठोस अपशिष्ट के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है ।

4. OSP प्रक्षेत्र, चिरकुंडा नगर पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु भूमि उपलब्ध होने के उपरांत इसका Detail Project Report (DPR) तैयार कराया गया है, जिसमें segregation at source, door to door collection, transportation, waste processing तथा scientific sanitary landfilling का प्रस्ताव है । इस योजना का कार्यान्वयन दो चरणों में निविदा द्वारा किया जायेगा प्रथम चरण की निविदा EPC Mode पर तथा दूसरे चरण की निविदा को लोक - निजी भागीदारी (PPP Mode) पर किया जायेगा । योजना की अवधि 20 वर्षों की है जिसका अनुमानित लागत, आय - व्यय इत्यादि का विस्तृत विवरण तालिका - I में वर्णित है ।

5. उपरोक्त DPR पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है ।

6. निकाय के पास **6** एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो योजना हेतु पर्याप्त है ।

7. योजना हेतु राशि प्रबंधन का विस्तृत विवरण तालिका - II में वर्णित है -

क. केन्द्रांश से कुल राशि ₹ **350.40 लाख** SBM योजना के तहत Mission Period, 2 Oct. 2019 तक @ 35% CAPEX एवं OPEX मद तथा @ 20% एवं ₹ 12 प्रति व्यक्ति DPR बनाने हेतु दी जायेगी।

ख. SBM के राज्य योजना मद से कुल राशि **₹ 2930.56 लाख** दी जायेगी ।

ग. Capex मद में PPP पार्टनर द्वारा न्यूनतम 30% राशि अर्थात **₹ 245.09 लाख** व्यय किया जायेगा।

8. इस योजना को DBOT (Design, Built, Operate & Transfer) Mode पर कार्यान्वित किया जायेगा ।

9. योजना की निविदा प्रक्रिया, दो अलग - अलग चरणों द्वारा पूर्ण की जाएगी :

क. प्रथम निविदा के तहत Collection, Storage and transfer हेतु सयंत्र एवं वाहनों का क्रय Item rate basis जायेगा, जिस पर कुल व्यय ₹ **143.68 लाख** होगी ।

ख. दूसरी निविदा PPP Mode पर आमंत्रित की जायेगी जिसके तहत processing plant तथा landfill site का निर्माण, मशीनों की commissioning एवं सम्पूर्ण योजना को 20 वर्षों तक चलाने का कार्य सम्मिलित होगा । निविदा में Capital cost item rate basis पर तथा O&M cost Tipping Fee (प्रति टन अपशिष्ट संग्रहण) के आधार पर आमंत्रित किया जायेगा ।

तालिका – I

Chirkunda Solid Waste Management - Fund Flow		
S. No.	**Particular**	**Amount in ₹ Lakh**
1	**Total Project Cost (=1.1+1.2+1.3)**	**7293.77**
1.1	Capital Cost (CAPEX)	**816.96**
1.2	O & M Cost for 20 Yrs.	**6370.88**
1.3	**Other Expenses (=1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)**	**105.93**
1.3.1	DPR Preparation Cost @ 1.5%	12.22
1.3.2	Training & Capacity Building of ULB @ 1.5%	12.22
1.3.3	Monitoring & Supervision Charges @ 10%	81.49
2	**Total Income (=2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	**3767.73**
2.1	by User Charges in O&M	1922.53
2.2	by Sale of Compost in O&M	1261.27
2.3	by Sale of Recyclable in O&M	576.93
2.4	by Scrap Sale in O&M	7.00
3	**Central Share (=3.1+3.2+3.3)**	**350.40**
3.1	Central Share for DPR preparation @ ₹ 12 per capita	6.34
3.2	Central Share in CAPEX @ 35% of it	285.94
3.3	Central Share in O&M @ 20% up to mission period (= 3yrs.)	58.12
4	**Investment of PPP Operator**	**245.09**
	Investment by private partner in CAPEX @ 30% (PPP mode)	245.09
5	**Total Grant Required from State (= 5.1+5.2+5.3)**	**2930.56**
5.1	In CAPEX	285.94
5.2	In O&M in 20 years	2545.03
5.3	In Other	99.59

5431
24/09/16

10. योजना का वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन के सुसंगत मद से किया जायेगा ।

तालिका – II

S. No.	Particulars	Amount in ₹ Lakhs
1	Total Project Cost	7293.77
2	Central Government Share (in CAPEX & Other)	350.40
3	Fund from PP partner	245.09
4	Total State Government Share (1.0 - 2.0 - 3.0)	2930.56

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक - 19.09.2016 में मद संख्या - 5 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाए ।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

26.9.16

अरुण कुमार सिंह

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक– SUDA/SBM/SWM/28 - 2015 5431 राँची, दिनांक– 26/09/16

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को राजपत्रके असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि मुद्रित संकल्प की एक सौ प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराई जाये ।

26.9.16

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक– SUDA/SBM/SWM/28 - 2015 5431 राँची, दिनांक– 26/09/16

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/ निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/ PD (Technical), JUIDCO/ संबंधित आयुक्त/उपायुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी, चिरकुंडा नगर पंचायत/ बजट शाखा/ नोडल पदाधिकारी E - गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.9.16

सरकार के प्रधान सचिव ।

Naw